दूरभाष - 24361852
Tel - 24364201
24366794

सं0- 07/07/2017 हिंशियो/(मु0)/ 433

भारत सरकार
GOVT. OFINDIA
गृह मंत्रालय
MINISTRY OF HOME AFFAIRS
(राजभाषाविभाग)
(DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE)
कंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान
CENTRAL HINDI TRAINING INSTITUTE

सातवाँ तल, अंत्योदय भवन,
7th Floor, Antyodaya Bhawan,
सी.जी.ओ. काम्पलेक्स,
C.G.O. Complex,
लोधीरोड, नई दिल्ली.110003
Lodhi Road, New Delhi. 110003
दिनांक/Date-

13 FEB 2023

सेवा में,

1. संयुक्त निदेशक (भाषा/टंकण एवं आशुलिपि)
2. उप निदेशक,
   (मध्योत्तर/दक्षिण/पूर्व/पश्चिम/पूर्वोत्तर)
   हिंदी शिक्षण योजना/केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान,
   राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय,
   नई दिल्ली/ चेन्नै/कोलकाता/मुंबई/गुवाहाटी
3. प्रभारी उप निदेशक,
   हिंदी शिक्षण योजना/केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान,
   राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय,
   बैंगलुरु,सिकंदराबाद।

विषय : हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत अंशकालिक प्रशिक्षण केंद्रों पर अंशकालिक हिंदी प्राध्यापकों एवं हिंदी टंकण/आशुलिपि अनुदेशकों की नियुक्ति से संबंधित दिशा-निर्देश के संबंध में।

महोदय/महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषय पर राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के का. ज्ञा. सं॰-23014/7/2021-रा॰भा॰(प्रशि.) का संदर्भ लें (प्रति संलग्न)।

2. पत्र आवश्यक कार्रवाई एवं सूचनार्थ प्रेषित है। यह प्रभारी निदेशक, संस्थान के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(बंकट लाल शर्मा)
उप निदेशक (मु.)

संलग्नक: **यथोपरि**

प्रतिलिपि : नोडल अधिकारी, वेब प्रबंधन, के.हि.प्र.स. को इस अनुरोध के साथ कि उपरोक्त पत्र को संस्थान की वेब साइट पर अपलोड करवाएँ।

संख्या 21034/7/2021-राभा(प्रशि)

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राजभाषा विभाग

नई दिल्ली-1 दिनांक 07/02/2023

कार्यालय ज्ञापन

विषय:-हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत अंशकालिक प्रशिक्षण केंद्रों पर अंशकालिक हिंदी प्राध्यापकों एवं हिंदी टंकण/आशुलिपि अनुदेशकों की नियुक्ति से संबंधित दिशा-निर्देश के संबंध में ।

संदर्भ:- दिनांक 25 मई, 2022 का पत्र संख्या 07/07/2017-हिशियो/(मु.)/2023 ।

केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान को उनके उपरोक्त संदर्भित पत्र के संबंध में सूचित किया जाता है कि आंतरिक वित्त (गृह), गृह मंत्रालय ने हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत अंशकालिक प्रशिक्षण केंद्रों पर केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान/हिंदी शिक्षण योजना के हिंदी प्राध्यापक/सहायक निदेशक (भाषा/टंकण/आशुलिपि)/उप निदेशक (हिंदी शिक्षण योजना/टंकण/आशुलिपि) के पद से अधिवार्षिता प्राप्त कर सेवानिवृत्त अधिकारी जिनकी आयु 65 वर्ष से अधिक न हो, को अंशकालिक हिंदी प्राध्यापकों एवं हिंदी टंकण/आशुलिपि अनुदेशकों की नियुक्ति (संलग्न नोट 30 के पैरा 10 एवं 11 के अनुसार) सक्षम प्राधिकारी की सहमति से निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है:-

1. सेवानिवृत्त अधिकारियोंकी अनुदेशक में नियुक्ति संस्थान के आवश्यकतानुसार संविदा के आधार पर की जाएगी एवं उनको दिया जाने वाला मानदेय राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन दिनांक 04.12.2012 के अनुसार निर्धारित होगा।
2. संबंधित बजट शीर्ष में पर्याप्त धन की उपलब्धता ।
3. जीएफआर, 2017 व व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा समय समय पर जारी दिशा-निर्देशों के प्रावधानों का अनुपालन किया जाएगा ।

2. अत: संस्थान को निदेश दिए जाते है कि वे आंतरिक वित्त (गृह) द्वारा दिए गए उपरोक्त निदेशो (प्रति संलग्न) के आधार पर कार्रवाई करें तथा की गई कार्रवाई से विभाग को अवगत करवाए ।

(एस.आर.मीना)
अवर सचिव (प्रशि.)

निदेशक,
केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान,
नई दिल्ली-110003

Note # 30

नोट 21 से 24 के क्रम में:-

"गृह मंत्रालय का २०१२ का कौन सा ज्ञापन है ? व्यय विभाग के ज्ञापन दिनांक ९.१२.२०२० का पालन करना है" ।

व्यय विभाग ने अपने दिनांक 09.12.2020 के कार्यालय ज्ञापन सं.3-25/2020-ई.IIIए (पृष्ठ सं.48-50/पत्रा.) के तहत सेवानिवृत्त केंद्रीय सरकार के कार्मिकों को अनुबंध आधार पर दिए जाने वाले मानदेय के संबंध में सूचित किया है कि "A fixed amount shall be admissible, arrived at by deducting the basic pension from the pay drawn at the time of retirement. The amount of remuneration so fixed shall remain unchanged for the term of contract.

2. उल्लेखनीय है कि राजभाषा विभाग के दिनांक 04 अप्रैल, 2012 के कार्यालय ज्ञापन सं.21034/66/2009-राभा(प्रशि.) के अंतर्गत अंशकालिक हिंदी प्राध्यापकों/अनुदेशकों को प्रशिक्षार्थियों की संख्या और कक्षाओं के दिवसों के आधार पर मानदेय दिए जाने का प्रावधान है । अत: व्यय विभाग के दिनांक 09.12.2020 के कार्यालय ज्ञापन (पृष्ठ सं.10-11/पत्रा.) के आधार पर यह निर्धारित किया जा सकता है कि सेवानिवृत्त हिंदी प्राध्यापक/सहायक निदेशक/उप निदेशक को दिए जाने वाला मानदेय उस अधिकारी को सेवानिवृत्ति के समय मिलने वाले मूल वेतन में से पेंशन का राशि घटाकर बची शेष राशि से अधिक न हो। मूल वेतन में महंगाई भत्ता व अन्य किसी प्रकार का भत्ता शामिल नहीं किया जाएगा । तदनुसार संशोधित मसौदा निम्न प्रकार से है:-

3. संघ की राजभाषा संबंधी संवैधानिक उपबंधों के अनुपालन में केंद्र सरकार के मंत्रालयों तथा इसके नियंत्रणाधीन निगमों, निकायों, उपक्रमों, राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि के हिंदी न जानने वाले कर्मचारियों को हिंदी शिक्षण योजना द्वारा हिंदी भाषा, हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि का प्रशिक्षण दिया जाता है ।

4. इस प्रशिक्षण व्यवस्था के संचालन व प्रशासनिक नियंत्रण के लिए केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान नई दिल्ली मुख्यालय के अधीन नई दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई तथा गुवाहाटी में पाँच क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किए गए हैं । इनके अधीन देश भर में वर्तमान में **444** पूर्ण कालिक व अंशकालिक प्रशिक्षण केंद्रों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं (पृष्ठ सं.6/पत्रा.) ।

पूर्णकालिक प्रशिक्षण केंद्र

देश के विभिन्न शहरों में जहां केंद्रीय सरकार के कर्मचारी पर्याप्त संख्या में कार्यरत हैं, वहां प्रशिक्षण हेतु आवश्यकता अनुसार पूर्णकालिक केंद्र स्थापित किए जाते हैं । इन प्रशिक्षण केंद्रों पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान के नियमित हिंदी प्राध्यापकों **(अब सहायक निदेशक)** द्वारा किया जाता है। इन प्रशिक्षण केंद्रों की संख्या वर्तमान में **336** है ।

अंशकालिक प्रशिक्षण केंद्र

जिन शहरों में प्रशिक्षण के लिए शेष कर्मचारियों की संख्या पूर्णकालिक केंद्र खोले जाने के अनुरूप नहीं होती है । वहां हिंदी प्रशिक्षण की क्षेत्रीय आवश्यकता की पूर्ति हेतु अंशकालिक प्रशिक्षण केंद्र खोले जाते हैं । इसके अतिरिक्त निम्नलिखित परिस्थितियों में भी

पूर्णकालिक प्रशिक्षण केंद्रों पर प्रशिक्षण को निर्बाध जारी रखने के लिए नियमित हिंदी प्राध्यापक/अनुदेशक उपलब्ध होने तक उन पूर्णकालिक प्रशिक्षण केंद्र को अंशकालिक केन्द्रों के रूप में परिवर्तित करना पड़ता है

(i) सत्र के दौरान हिंदी प्राध्यापक की पदोन्नति होने ।

(ii) महिला हिंदी प्राध्यापक के मातृत्व अवकाश पर चले जाने ।

(iii) प्राध्यापक के अप्रत्याशित लंबे चिकित्सा अवकाश पर चले जाने या केंद्र पर तैनात हिंदी प्राध्यापक की असामयिक मृत्यु हो जाने जैसी विषम परिस्थितियों में इन केंद्रों पर प्रशिक्षण संचालन हेतु क्षेत्रीय स्तर पर उपलब्ध सेवारत योग्य कार्मिकों की सेवाएँ बतौर अंशकालिक हिंदी प्राध्यापक, हिंदी टंकण/अनुदेशक के रूप में ली जाती हैं ।

वर्तमान में देश भर में संचालित अंशकालिक प्रशिक्षण केंद्रों की संख्या 8 है । इन अंशकालिक केंद्रों पर प्रशिक्षण हेतु नियुक्त अंशकालिक हिंदी प्राध्यापक एवं टंकण एवं आशुलिपि अनुदेशकों को राजभाषा विभाग के दिनांक 04 अप्रैल, 2012 के का0 ज्ञा0 सं0-21034/66/2009 रा0 भा0 (प्रशि0) के तहत निर्धारित दरों के अनुसार मानदेय दिया जाता है यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अंशकालिक हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि प्रशिक्षण केंद्र पर हिंदी शिक्षण योजना द्वारा कंप्यूटर आदि उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं ।

5. अंशकालिक हिंदी प्राध्यापक, हिंदी टंकण/ आशुलिपि अनुदेशकों की मौजूदा नियुक्ति-प्रक्रिया क्षेत्रीय उपनिदेशक अपने क्षेत्राधीन नगरों में अंशकालिक केंद्र की स्थापना हेतु निर्धारित प्रपत्र में (प्रशिक्षण के लिए शेष कार्मिकों की संख्या, प्रशिक्षण कक्ष, फ़र्नीचर, कम्प्यूटर आदि की उपलब्धता तथा अंशकालिक हिंदी प्राध्यापक/ अनुदेशक के रूप में सेवा के लिए इच्छुक व योग्य कार्मिक के नाम, पदनाम, शैक्षिक योग्यता सहित) अपनी संस्तुति के साथ प्रस्ताव अनुमोदन हेतु निदेशक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली को प्रेषित करते हैं। अनुमोदनोपरांत क्षेत्रीय उपनिदेशक अंशकालिक प्राध्यापक/अनुदेशक की नियुक्ति करते हैं।

(क) अंशकालिक हिंदी प्राध्यापक के लिए पात्रता:-

हिंदी प्राध्यापकों के लिए निर्धारित अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप क्षेत्रीय स्तर पर उपलब्ध सेवारत हिंदी प्रशिक्षण हेतु योग्य कार्मिकों को अंशकालिक हिंदी प्राध्यापक नियुक्त किया जाता है। इस हेतु विभिन्न कार्यालयों में कार्यरत हिंदी अनुवादक, हिंदी अधिकारी, सहायक निदेशक (राजभाषा) आदि उक्त कार्य हेतु उपयुक्त पाए जाते हैं। केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान के नियमित हिंदी प्राध्यापकों की शैक्षणिक योग्यता संबंधी विवरण अनुलग्नक-II पर द्रष्टव्य है। (पृष्ठ सं.15-16/पत्रा.)

(ख) अंशकालिक हिंदी टंकण/आशुलिपि अनुदेशक के लिए पात्रता:-

नियमित सहायक निदेशक (टंकण/ आशुलिपि) के लिए निर्धारित योग्यता के अनुरूप क्षेत्रीय स्तर पर उपलब्ध सेवारत कार्मिकों को नियुक्त किया जाता है। इस हेतु विभिन्न कार्यालयों में कार्यरत हिंदी आशुलिपिक, अँग्रेजी आशुलिपिक जिन्होंने हिंदी शिक्षण योजना का हिंदी आशुलिपि का प्रशिक्षण उत्तीर्ण किया हो आदि उक्त कार्य के लिए उपयुक्त पाए जाते हैं। केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान के नियमित सहायक निदेशक (टंकण/ आशुलिपि) की शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव संबंधी विवरण अनुलग्नक- III पर द्रष्टव्य है। (पृष्ठ सं.17-18/पत्रा.) उल्लेखनीय है कि उक्त पदों पर नियुक्ति हेतु अपेक्षित पात्रता/ योग्यता व अनुभव आदि के संबंध में कोई निश्चित व लिखित दिशा-निर्देश उपलब्ध नहीं है । ऊपर वर्णित व्यवस्था कार्य-संचालन हेतु परंपरागत ढंग से विकसित व्यवस्था है । इसी कारण कई बार ग़ैर सरकारी व्यक्तियों को भी अशकालिक प्राध्यापक/ अनुदेशक नियुक्त कर दिया जाता है । ऐसे मामले भविष्य में अनेक प्रशासनिक समस्याएँ उत्पन्न करते हैं । साथ ही प्रशिक्षण केंद्र पर प्रशिक्षण को जारी रखने हेतु पात्र/ योग्य प्राध्यापक/ अनुदेशक की नियुक्ति के

संबंध में समुचित व शीघ्र निर्णय लेने में कठिनाई होती है। इससे केंद्र पर प्रशिक्षण बाधित होता है।

6. अंशकालिक हिंदी प्राध्यापक व हिंदी टंकण/ आशुलिपि अनुदेशक की नियुक्ति के संबंध में आवश्यकता व समय की मांग के अनुसार 'दिशा-निर्देश' तय करना नितांत आवश्यक है । इस क्रम में निम्नलिखित सुझाव, विचारार्थ प्रस्तुत हैं-

(क) हिंदी प्राध्यापक के लिए पात्रता/ योग्यता -

(i) केंद्र सरकार के विभिन्न कार्यालयों/विभागों में सेवारत कार्मिक, जिसने एम. ए. हिंदी में किया हो तथा बी. ए. में अंग्रेजी एक विषय रहा हो अथवा किसी भी विषय में एम.ए. किया हो और बी.ए. में अंग्रेजी विषय के साथ हिंदी मुख्य विषय रहा हो तथा कंप्यूटर का कार्य साधक ज्ञान हो- को अंशकालिक हिंदी प्राध्यापक नियुक्त किया जा सकता है ।

(ii) **केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान/ हिंदी शिक्षण योजना के हिंदी प्राध्यापक/सहायक निदेशक/उप निदेशक के पद से अधिवर्षित प्राप्त कर सेवानिवृत्त अधिकारी, जिनकी आयु 65 वर्ष से अधिक न हो - को अंशकालिक हिंदी प्राध्यापक नियुक्त किया जा सकता है ।**

(ख) **अंशकालिक हिंदी टंकण/आशुलिपि अनुदेशक के लिए पात्रता/योग्यता:-**

(i) केंद्र सरकार के विभिन्न कार्यालयों/विभागों में कार्यरत हिंदी आशुलिपिक अथवा अँग्रेजी आशुलिपिक- जिन्होंने हिंदी शिक्षण योजना का हिंदी आशुलिपि का प्रशिक्षण उत्तीर्ण किया हो अथवा केंद्र सरकार में कार्यरत कनिष्ठ व वरिष्ठ सचिवालय सहायक/अवर व प्रवर श्रेणी लिपिक/ सहायक अनुभाग अधिकारी व सहायक अथवा ग्रुप 'बी' व 'सी' के वे सभी कार्मिक जिन्होंने हिंदी शिक्षण योजना की हिंदी आशुलिपि अथवा हिंदी टंकण परीक्षा उत्तीर्ण की हो ।

(ii) केंद्र सरकार में सेवारत कार्मिक जिसने स्नातक हिंदी अनिवार्य विषय के साथ या हिंदी माध्यम से किया हो अथवा स्नातक तथा 10+2 हिंदी अनिवार्य विषय के साथ उत्तीर्ण की हो। साथ ही कार्मिक ने राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद या केंद्र या राज्य सरकार की संस्था से हिंदी आशुलिपि में 100 शब्द प्रति मिनट की प्रवीणता के साथ 'इंस्क्रिप्ट की-बोर्ड' पर टंकण में 40 शब्द प्रति मिनट की गति विषयक प्रमाण पत्र/ डिप्लोमा किया हो। अथवा कैंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान हिंदी शिक्षण योजना की टंकण आशुलिपि की परीक्षा उत्तीर्ण की हो और उसे कंप्यूटर का कार्य साधक ज्ञान हो- को अंशकालिक हिंदी आशुलिपि अनुदेशक नियुक्त किया जा सकता है ।

(iii) **केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान/ हिंदी शिक्षण योजना के सहायक निदेशक(टंकण/आशुलिपि)/उप निदेशक(टंकण/आशुलिपि) के पद से अधिवर्षिता प्राप्त कर सेवानिवृत्त अधिकारी, जिनकी आयु 65 वर्ष से अधिक न हो - को अंशकालिक टंकण/आशुलिपि अनुदेशक नियुक्त किया जा सकता है ।**

7. इस संबंध में संस्थान ने सूचित किया है कि वर्तमान में चली आ रही प्रक्रिया के अंतर्गत अंशकालिक भाषा एवं टंकण/आशुलिपि अनुदेशकों की नियुक्ति के लिए क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक/उप निदेशक अपनी अनुशंसा के साथ सेवारत सरकारी कर्मचारियों के नाम निदेशक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान के पास भिजवाए जाते हैं तथा निदेशक, कैंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा उनके नियुक्ति पत्र जारी किए जाते है ।

8. इसी प्रक्रिया के तहत अब क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक/उप निदेशक अपनी अनुशंसा के साथ हिंदी शिक्षण योजना/केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान के सेवानिवृत्त अधिकारियों के नाम भी निदेशक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान के पास भिजवा सकते है तथा इस कार्य के लिए निदेशक, संस्थान द्वारा निम्नलिखित तीन सदस्यों की समिति का गठन किए जाने का प्रस्ताव है:-

1. प्रशासनिक अधिकारी, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान
2. संयुक्त निदेशक/उप निदेशक (भाषा)
3. संयुक्त निदेशक/उप निदेशक (टंकण/आशुलिपि)

समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट/अनुशंसा पर निदेशक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान के अनुमोदन के पश्चात संबंधित सेवानिवृत्त अधिकारी की भी अंशकालिक अनुदेशक के तौर पर नियुक्ति की जा सकती है ।

9. संस्थान ने यह भी सूचित किया है कि सेवारत और सेवानिवृत्त अधिकारियों को अंशकालिक अनुदेशक के तौर पर दिए जाने वाला मानदेय की दरें राजभाषा विभाग के दिनांक 04.04.2012 के कार्यालय ज्ञापन सं.21034/66/2009-रा.भा.(प्रशि.) के अनुसार ही रहेगी । (पृष्ठ सं.30-33/पत्रा.)

अंशकालिक अनुदेशक (भाषा) को देय मानदेय/पारिश्रमिक दर

क्र.स.	विवरण	सरकारी सेवकों के लिए स्वीकृत मानदेय	क्र.स.	विवरण	सेवानिवृत्त अधिकारियों के लिए स्वीकृत मानदेय/ पारिश्रमिक
1.	एकांतर दिवस की कक्षाओं के लिए जहाँ प्रशिक्षार्थियों की उपस्थिति कम से कम 10 तक है।	रू.1080/- प्रति माह	1.	एकांतर दिवस की कक्षाओं के लिए जहाँ प्रशिक्षार्थियों की उपस्थिति कम से कम 10 तक है।	रू.1080/- प्रति माह
	यदि संख्या 10 से अधिक है तो प्रति अतिरिक्त प्रशिक्षार्थी के लिए	रू.70/- प्रति माह		यदि संख्या 10 से अधिक है तो प्रति अतिरिक्त प्रशिक्षार्थी के लिए	रू.70/- प्रति माह
2.	प्रतिदिन की कक्षाओं हेतु जहाँ प्रशिक्षार्थियों की उपस्थिति कम से कम 10 तक है।	रू.1400/- प्रति माह	2.	प्रतिदिन की कक्षाओं हेतु जहाँ प्रशिक्षार्थियों की उपस्थिति कम से कम 10 तक है।	रू.1400/- प्रति माह
	यदि संख्या 10 से अधिक है तो प्रति अतिरिक्त प्रशिक्षार्थी के लिए	रू.70/- प्रति माह		यदि संख्या 10 से अधिक है तो प्रति अतिरिक्त प्रशिक्षार्थी के लिए	रू.70/- प्रति माह

अंशकालिक अनुदेशक (टंकण/आशुलिपि) को देय मानदेय/पारिश्रमिक दर

क्र स.	विवरण	सरकारी सेवकों के लिए स्वीकृत मानदेय		क्र. स.	विवरण	सेवानिवृत्त अधिकारियों के लिए स्वीकृत मानदेय/ पारिश्रमिक	
		टंकण	आशुलिपि			टंकण	आशुलिपि
1.	यदि प्रशिक्षार्थियों की संख्या 1 से 5 हो ।	-	-	1.	यदि प्रशिक्षार्थियों की संख्या 1 से 5 हो ।		
2.	यदि प्रशिक्षार्थियों की संख्या 6 से 10 हो ।	रू.900/- प्रति माह	रू.1500/- प्रति माह	2.	यदि प्रशिक्षार्थियों की संख्या 6 से 10 हो ।	रू.900/- प्रति माह	रू.1500/- प्रति माह
3.	यदि प्रशिक्षार्थियों की संख्या 10 से अधिक हो ।	रू.1500/- प्रति माह	रू.2100/- प्रति माह	3.	यदि प्रशिक्षार्थियों की संख्या 10 से अधिक हो ।	रू.1500/- प्रति माह	रू.2100/- प्रति माह

मानदेय की कुल राशि रूपये 5000/- प्रति वर्ष की निर्धारित सीमा सेवानिवृत्त अधिकारी-अनुदेशकों पर लागू नहीं होगी तथा उक्त मानदेय राशि पूर्व की भांति क्षेत्रीय कार्यालयों के बजट से देय होगी।

10. संस्थान द्वारा अंशकालिक हिंदी प्राध्यापक/हिंदी टंकण/हिंदी आशुलिपि अनुदेशक की नियुक्ति के संबंध में सुझाए गए सुझाव के आधार पर निम्नलिखित दिशा-निदेश तय किए जा सकते है:-

कस	संस्थान द्वारा प्रस्तावित	विभाग की संस्तुति
1	**हिंदी प्राध्यापक के लिए पात्रता/ योग्यता:-** (i) केंद्र सरकार के विभिन्न कार्यालयों/विभागों में सेवारत कार्मिक, जिसने एम. ए. हिंदी में किया हो तथा बी. ए. में अंग्रेजी एक विषय रहा हो अथवा किसी भी विषय में एम.ए. किया हो और बी.ए. में अंग्रेजी विषय के साथ हिंदी मुख्य विषय रहा हो तथा कंप्यूटर का कार्य साधक ज्ञान हो- को अंशकालिक हिंदी प्राध्यापक नियुक्त किया जा सकता है । **(ii) केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान/ हिंदी शिक्षण योजना के हिंदी प्राध्यापक/सहायक निदेशक/उप निदेशक के पद से अधिवर्षित प्राप्त कर सेवानिवृत्त अधिकारी, जिनकी आयु 65 वर्ष से अधिक न हो - को अंशकालिक हिंदी प्राध्यापक नियुक्त किया जा सकता है।**	**अंशकालिक हिंदी प्राध्यापक के लिए पात्रता:-** (i) हिंदी प्राध्यापकों के लिए निर्धारित अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप क्षेत्रीय स्तर पर उपलब्ध विभिन्न कार्यालयों में कार्यरत हिंदी अनुवादक, हिंदी अधिकारी, सहायक निदेशक (राजभाषा) तथा जिन्हें कंप्यूटर का कार्य साधक ज्ञान हो- को अंशकालिक हिंदी प्राध्यापक नियुक्त किया जा सकता है । **(ii) केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान/ हिंदी शिक्षण योजना के हिंदी प्राध्यापक/सहायक निदेशक/उप निदेशक के पद से अधिवर्षित प्राप्त कर सेवानिवृत्त अधिकारी, जिनकी आयु 65 वर्ष से अधिक न हो - को अंशकालिक हिंदी प्राध्यापक नियुक्त किया जा सकता है**
2	अंशकालिक हिंदी टंकण/आशुलिपि अनुदेशक के लिए पात्रता/योग्यता:- (i) केंद्र सरकार के विभिन्न कार्यालयों/विभागों में कार्यरत हिंदी आशुलिपिक अथवा अँग्रेजी आशुलिपिक- जिन्होंने हिंदी शिक्षण योजना का	अंशकालिक हिंदी टंकण/आशुलिपि अनुदेशक के लिए पात्रता/योग्यता:- (i) नियमित सहायक निदेशक (टंकण/ आशुलिपि) के लिए निर्धारित योग्यता के अनुरूप क्षेत्रीय स्तर पर उपलब्ध विभिन्न

	हिंदी आशुलिपि का प्रशिक्षण उत्तीर्ण किया हो अथवा केंद्र सरकार में कार्यरत कनिष्ठ व वरिष्ठ सचिवालय सहायक/अवर व प्रवर श्रेणी लिपिक/ सहायक अनुभाग अधिकारी व सहायक अथवा ग्रुप 'बी' व 'सी' के वे सभी कार्मिक जिन्होंने हिंदी शिक्षण योजना की हिंदी आशुलिपि अथवा हिंदी टंकण परीक्षा उत्तीर्ण की हो। (ii) केंद्र सरकार में सेवारत कार्मिक जिसने स्नातक हिंदी अनिवार्य विषय के साथ या हिंदी माध्यम से किया हो अथवा स्नातक तथा 10+2 हिंदी अनिवार्य विषय के साथ उत्तीर्ण की हो। साथ ही कार्मिक ने राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद या केंद्र या राज्य सरकार की संस्था से हिंदी आशुलिपि में 100 शब्द प्रति मिनट की प्रवीणता के साथ 'इंस्क्रिप्ट की- बोर्ड' पर टंकण में 40 शब्द प्रति मिनट की गति विषयक प्रमाण पत्र/ डिप्लोमा किया हो। अथवा केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान हिंदी शिक्षण योजना की टंकण आशुलिपि की परीक्षा उत्तीर्ण की हो और उसे कंप्यूटर का कार्य साधक ज्ञान हो- को अंशकालिक हिंदी आशुलिपि अनुदेशक नियुक्त किया जा सकता है। **(iii) केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान/ हिंदी शिक्षण योजना के सहायक निदेशक(टंकण/आशुलिपि)/उप निदेशक(टंकण/ आशुलिपि) के पद से अधिवर्षिता प्राप्त कर सेवानिवृत्त अधिकारी, जिनकी आयु 65 वर्ष से अधिक न हो - को अंशकालिक टंकण/आशुलिपि अनुदेशक नियुक्त किया जा सकता है ।**	कार्यालयों में कार्यरत हिंदी आशुलिपि जिन्हें कंप्यूटर का कार्यसाधक ज्ञान भी हो को अंशकालिक हिंदी टंकण/आशुलिपि नियुक्त किया जा सकता है । **(ii) केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान/ हिंदी शिक्षण योजना के सहायक निदेशक(टंकण/आशुलिपि)/उप निदेशक(टंकण/ आशुलिपि) के पद से अधिवर्षिता प्राप्त कर सेवानिवृत्त अधिकारी, जिनकी आयु 65 वर्ष से अधिक न हो - को अंशकालिक टंकण/आशुलिपि अनुदेशक नियुक्त किया जा सकता है ।**

11. संस्थान के प्रस्ताव के अनुसार केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान/ हिंदी शिक्षण योजना के हिंदी प्राध्यापक/सहायक निदेशक(भाषा/टंकण/आशुलिपि)/उप निदेशक(हिंदी शिक्षण योजना/ टंकण/ आशुलिपि) के पद से अधिवर्षिता प्राप्त कर सेवानिवृत्त अधिकारी, जिनकी आयु नियुक्ति के समय 65 वर्ष से अधिक न हो - को अंशकालिक अनुदेशक नियुक्त किया जा सकता है। इन सेवानिवृत्त कार्मिकों को दिया जाने वाला मानदेय वित्त प्रभाग, गृह मंत्रालय द्वारा उनकी टिप्पणी सं.65243/JS (Fin./Pers)II/2011 दिनांक 15.12.2011 के तहत सरकारी कार्मिकों को प्रदान किए जाने वाले मानदेय के अनुसार ही होगा । कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 20 जनवरी, 1997 के कार्यालय ज्ञापन सं.21011/263/9681-स्था.(भत्ता) के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए मानदेय की

निर्धारित सीमा सभी प्रकार के मानदेय मिलाकर कुल रूपये 5000/-(रूपये पांच हजार मात्र) प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष से अधिक नहीं होगी । यह सीमा सेवानिवृत्त कार्मिकों पर लागू नही होगी, परन्तु व्यय विभाग के दिनांक 09.12.2020 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार सेवानिवृत्त हिंदी प्राध्यापक/सहायक निदेशक/उप निदेशक को दिए जाने वाला मानदेय उस अधिकारी को सेवानिवृत्ति के समय मिलने वाले मूल वेतन में से पेंशन की राशि घटाकर बची शेष राशि से अधिक नहीं होगी । मूल वेतन में महंगाई भत्ता व अन्य किसी प्रकार के भत्ते शामिल नहीं किए जाएगे ।

12. अत: आंतरिक वित्त प्रभाग से अनुरोध किया जा सकता है कि केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान/ हिंदी शिक्षण योजना के हिंदी प्राध्यापक/सहायक निदेशक(भाषा/टंकण/आशुलिपि)/उप निदेशक(हिंदी शिक्षण योजना/टंकण/ आशुलिपि) के पद से अधिवर्षिता प्राप्त कर सेवानिवृत्त अधिकारी, जिनकी आयु 65 वर्ष से अधिक न हो, को (पैरा 10 एवं 11 के अनुसार) अंशकालिक अनुदेशक नियुक्त करने की मंजूरी प्रदान करने का कष्ट करें ।

04/10/2022 12:58 PM
Vimal Kumar
UDC
Note # 31

06/10/2022 10:25 AM
VIBHA PANT
UNDER SECRETARY
Note # 32

संशोधित प्रस्ताव सचिव (राजभाषा) की प्रशासनिक मंजूरी के उपरांत आंतरिक वित्त (गृह) को भिजवाया जा सकता है ।

06/10/2022 12:18 PM
Shib Das Sarkar
DEPUTY SECRETARY
Note # 33

14/10/2022 01:13 PM
डॉ मीनाक्षी जौली |Meenakshi Jolly
संयुक्त सचिव|JOINT SECRETARY
Note # 34

यथा प्रस्तावित।

17/10/2022 11:50 AM
सचिव कार्यालय राजभाषा विभाग|Secy Office dol
सचिव|Secretary
Note # 35

17/10/2022 11:59 AM
डॉ मीनाक्षी जौली |Meenakshi Jolly
संयुक्त सचिव|JOINT SECRETARY
Note # 36

17/10/2022 12:04 PM
Shib Das Sarkar
DEPUTY SECRETARY
Note # 37

17/10/2022 03:32 PM
RAJNISH KUMAR
US, MHA
Note # 38

17/10/2022 04:16 PM
VIVEK KUMAR
SO, MHA
Note # 39

एकीकृत वित्त प्रभाग/वित्त-IV

2. राजभाषा विभाग का यह प्रस्ताव, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान/ हिंदी शिक्षण योजना के हिंदी प्राध्यापक/सहायक निदेशक (भाषा/टंकण/आशुलिपि)/उप निदेशक(हिंदी शिक्षण योजना/टंकण/आशुलिपि) के पद से अधिवर्षिता प्राप्त कर सेवानिवृत्त अधिकारी, जिनकी आयु 65 वर्ष से अधिक न हो, को अंशकालिक अनुदेशक नियुक्त करने की मंजूरी प्रदान करने के संदर्भ में है।

3. इस संदर्भ में, आतंरिक वित्त प्रभाग का विस्तृत नोट # 18 पर देखा जा सकता है I

4. अतिरिक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार (गृह) ने नोट # 21 द्वारा निम्नलिखत बिंदु पर स्पष्टीकरण माँगा था : "गृह मंत्रालय का २०१२ का कौन सा ज्ञापन है ? व्यय विभाग के ज्ञापन दिनांक ९.१२.२०२० का पालन करना है" I

5. अतिरिक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार (गृह) के अवलोकन में, विभाग ने नोट # 26 व्यक्त किया है कि:

(i) गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग का दिनांक 04 अप्रैल, 2012 का कार्यालय ज्ञापन सं.21034/66/2009-राभा(प्रशि.) (पृष्ठ सं. 10-11/पत्रा.) जो कि वित्त प्रभाग, गृह मंत्रालय द्वारा उनकी टिप्पणी डायरी सं.65243/JS(Fin./Pers)II/2011 दिनांक 15.12.2011 के अनुमोदन से जारी किया गया है, संलग्न है ।

(ii) इसके अतिरिक्त यह भी सूचित है कि व्यय विभाग ने अपने दिनांक 09.12.2020 के कार्यालय ज्ञापन सं.3-25/2020-ई.IIIए (पृष्ठ 48-50/पत्रा.) के तहत सेवानिवृत्त केंद्रीय सरकार के कार्मिकों को अनुबंध आधार पर पूर्णकालिक कर्मचारी के रूप में नियुक्त करने के संबंध में दिशा-निदेश दिए गए है । जबकि अंशकालिक हिंदी प्राध्यापकों/अनुदेशकों को मानदेय प्रशिक्षार्थियों की संख्या और कक्षाओं के दिवसों के आधार पर दिया जाता है । अत: उपरोक्त कार्यालय ज्ञापन के आधार पर सेवानिवृत्त हिंदी प्राध्यापक/सहायक निदेशक/उप निदेशक का मानदेय निर्धारित किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता ।

6. उपरोक्त तथ्यों के आधार पर, आन्तरिक वित्त विभाग, राजभाषा विभाग के प्रस्ताव यथा **केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान/ हिंदी शिक्षण योजना के हिंदी प्राध्यापक/सहायक निदेशक(भाषा/टंकण/आशुलिपि)/उप निदेशक(हिंदी शिक्षण योजना/टंकण/ आशुलिपि) के पद से अधिवर्षिता प्राप्त कर सेवानिवृत्त अधिकारी,** जिनकी आयु 65 वर्ष से अधिक न हो, **को अनुदेशक नियुक्त करने** (नोट # 30 के पैरा 10 एवं 11 के अनुसार) को सहमति दे सकता हैI यह सहमति निम्नलिखित शर्तो के अधीन है

(i) सक्षम अधिकारी कि अनुमति I

(ii) सेवानिवृत अधिकारियो की अनुदेशक में नियुक्ति संस्थान के आवश्यकतानुसार संविदा के के आधार पर की जाएगी एवं उनको दिया जाने वाला मानदेय राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन दिनांक 04.12..2012 के अनुसार निर्धारित होगा I

(iii) सम्बंधित बजट शीर्ष में पर्याप्त धन की उपलब्धता I

(iv) GFR-2019 में उधृत नियमो एवं वित्त विभाग द्वारा समय समय पर जारी किये गए दिशानिर्देशों का अनुपालन I

01/12/2022 11:52 AM
ANIKET KUMAR
ASSISTANT SECTION OFFICER, MHA
Note # 40

05/12/2022 04:27 PM
VIVEK KUMAR
SO, MHA
Note # 41

उपरोक्त टिप्पण के पारा - 6 में निहित प्रस्ताव को सहमति दी जा सकती है ।

09/12/2022 02:26 PM
RAJNISH KUMAR
US, MHA
Note # 42

पारा - 6 में निहित प्रस्ताव को सहमति दी जा सकती है ।

16/12/2022 04:22 PM
जुही वर्मा|JUHI VERMA
उप - सचिव|DEPUTY SECRETARY, MHA
Note # 43

सहमति है

21/12/2022 07:39 PM
श्रीराम तारणिकंती|SRIRAM TARANIKANTI
अपर सचिव और वित्तीय सलाहकार|AS&FA, MHA
Note # 44

22/12/2022 11:11 AM
विवेक संभार्या|Vivek Sambharya
उप - सचिव|DEPUTY SECRETARY, MHA
Note # 45

22/12/2022 02:52 PM
रजनीश कुमार|RAJNISH KUMAR
अवर सचिव|US, MHA
Note # 46

22/12/2022 03:51 PM
डॉ मीनाक्षी जौली |Meenakshi Jolly
संयुक्त सचिव|JOINT SECRETARY